न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 208/2019

1. मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड, शाखा जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी वीरेन्द्र सिंह राठौड़।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रहीस खान पुत्र श्री सन्नू खान वार्ड नं0 23, देशवाली मोहल्ला दौसा (राज0) 303303
2. श्रीमती सुरैया बेगम पत्नी श्री रहीस खान वार्ड नं0 23, देशवाली मोहल्ला दौसा (राज0) 303303

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री नरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 03.09.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड ने अप्रार्थीगण/ऋणीगण श्री रहीस खान पुत्र श्री सन्नू खान व अन्य को 10,70,164/—(रूपये दस लाख सत्तर हजार एक सौ चौसठ) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड को सुना गया एवं प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने से उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में अंकितानुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति श्रीमती सुरैया बेगम पत्नी श्री रहीस खान की सम्पत्ति कार्यालय नगरपालिका मण्डल, दौसा राज0 द्वारा जारी स्टेट ग्रान्ट एक्ट (आवासीय) विक्रय पत्र सं0 270 दिनांक 28.02.2005 बुजुर्गान का मोहल्ला देशवालियान दौसा क्षेत्रफल 159.21 वर्गगज जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 03 सितम्बर 2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा